न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)

वाद संख्या :– 02/98/2017

<u>शीला बनाम रामप्रसाद वगैरा</u>
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 22.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 06.09.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 129/0.12, 134/0.28, 137/0.02, 138/0.23, 139/0.04, 267/0.83, 271/0.60, 272/0.11, 273/0.18, 277/1.37, 277/429/0.04, 315/438/0.06, 316/439/0.04, 318/1.17, 319/1.05, 320/0.66, 321/0.06, 322/0.30, 323/0.48, 324/0.27, 326/1.11, 327/1.35 है. वाके ग्राम विजयनगर तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 23.10.2017 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को उसके हिस्से तक जबरन बेदखल न करें, विक्रय न करें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामील बाबत् रजिस्ट्री की रसीद पेश है जो दिनांक 29.09.2017 को जारी की गई है। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय नहीं आये। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अंकित इन्द्राज से आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना प्रथम दृष्टया साबित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 129/0.12, 134/0.28, 137/0.02, 138/0.23, 139/0.04, 267/0.83, 271/0.60, 272/0.11, 273/0.18, 277/1.37, 277/429/0.04, 315/438/0.06, 316/439/0.04, 318/1.17, 319/1.05, 320/0.66, 321/0.06, 322/0.30, 323/0.48, 324/0.27, 326/1.11, 327/1.35 है. वाके ग्राम विजयनगर तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 06.09.2017 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 कैम्प कोर्ट मोतीवाडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट मोतीवाडा)

Web Copy - Not Official